अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक– 03.02.2024 को विभागीय पदाधिकारियों एवं अभियंताओं के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना

सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए :–

- पूर्व में सर्वेक्षित 18,747 स्थलों पर मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत जाँच का कार्य प्राथमिकता पर करते हुए नलकूप अधिष्ठापन का कार्य ससमय किया जाना है। इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य/समय–सीमा के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले कनीय अभियंताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग को दिया गया।
- स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त L.P.C या जमीन विवाद से संबंधित समस्या आने पर संबंधित अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर योजना स्वीकृति की कार्रवाई करने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया।
- मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत दिनांक–10.02.2024 तक जाँच का कार्य प्राथमिकता पर करते हुए योजना स्वीकृत करने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया।
- मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत अब तक किये गये जाँच का कार्य एवं योजना स्वीकृति की समीक्षा दिनांक–10.02.2024 के बाद करने का निदेश अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग को दिया गया।
- जिस स्थल पर किसान द्वारा योजना का लाभ नहीं लेने का घोषणा पत्र दिया जा रहा है, वहाँ उस प्लॉट में सभी लोगों से मिलकर संतुष्ट हो जाने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया।

राजकीय नलकूप :–

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निविदा द्वारा किये जाने वाले (15 लाख से अधिक राशि) कार्यों, वित्तीय वर्ष 2023–24 में गैर योजना मद में आवंटन उपलब्ध कराये गये एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 से अबतक ग्राम पंचायत को योजना मद में आवंटन उपलब्ध कराये गये राजकीय नलकूपों की अद्यतन स्थिति पर विस्तृत समीक्षा की गई।

साथ ही समीक्षा के क्रम में राजकीय नलकूपों पर त्वरित गति से जीर्णोद्धार/मरम्मति का कार्य पूर्ण कराने एवं राजकीय नलकूपों को क्रियाशील करने हेतु निम्नांकित निदेश दिये गये:–

- जिन राजकीय नलकूपों पर निविदा (15 लाख से अधिक राशि) द्वारा कार्य किया जा रहा है उन्हें शीघ्रताशीघ्र और अधिकतम संख्या में क्रियाशील करते हुए पोर्टल पर अद्यतन करने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया।

- प्राथमिकता पर प्रमंडलों को जिन राजकीय नलकूपों पर वित्तीय वर्ष 2023–24 में गैर योजना मद में आवंटन उपलब्ध कराया गया है, उन्हें शीघ्रताशीघ्र और अधिकतम संख्या में राशि व्यय करके क्रियाशील करते हुए पोर्टल पर अद्यतन करने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया।
- वैसे राजकीय नलकूप जहाँ पर कमाण्ड क्षेत्र की उपलब्धता है एवं नलकूप नगर पंचायत में चला गया है, वैसी स्थिति में राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार/मरम्मति का कार्य निकटतम पंचायत द्वारा कराने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया।
- वैसे राजकीय नलकूप जहाँ पर राजकीय नलकूपों के जीर्णोद्धार/मरम्मति के कार्य में पंचायत द्वारा रूचि नहीं लिया जा रहा है या उपयोगिता प्रमाण–पत्र व अन्य कागजात नहीं दिये जा रहे हैं, वैसी स्थिति में उप विकास आयुक्त के स्तर पर बैठक आयोजित कराते हुए ग्राम पंचायतों से कार्य पूर्ण कराकर नलकूप क्रियाशील कराने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 से अब तक ग्राम पंचायतों को योजना मद में आवंटन उपलब्ध कराये गये कार्यरत राजकीय नलकूपों का स्थल निरीक्षण यथाशीघ्र करते हुए हस्ताक्षरित प्रतिवेदन प्रपत्र–I पोर्टल पर अपलोड करते हुए पोर्टल के ही माध्यम से आवश्यकतानुसार आवंटन अधियाचना करने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया।
- साथ ही अकार्यरत राजकीय नलकूपों का स्थल निरीक्षण यथाशीघ्र करते हुए हस्ताक्षरित प्रतिवेदन प्रपत्र–II पोर्टल पर अपलोड करते हुए पोर्टल के ही माध्यम से आवश्यकतानुसार योजना एवं गैर योजना मद में आवंटन अधियाचना करने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया।
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति को दृष्टिगत रखते हुए जिन मामलों में तकनीकी स्वीकृति की प्रति पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा सकी है, ऐसी स्थिति में प्रस्तावित आवंटन की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के 70 प्रतिशत सीमित रखने का निदेश दिया गया है।
- वैसे राजकीय नलकूप जिन्हें क्रियाशील करने हेतु बाह्य विद्युतीकरण की आवश्यकता है, उन नलकूपों पर मुखिया, पंचायत सचिव एवं बिजली विभाग के साथ उप विकास आयुक्त के स्तर पर बैठक कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया।
- परित्यक्त नलकूपों के यंत्र–संयंत्र एवं अन्य उपस्कर (यथा–मोटर पम्प, कॉलम पाईप, सर्ज टैंक, स्टार्टर, मेन स्वीच एवं अन्य उपयोगी सामग्रियों) को प्रमंडलीय भण्डार लेखा में संग्रहण करने तथा आवश्यकतानुसार अन्य नलकूपों पर सामग्रियों का उपयोग सुनिश्चित करने का निदेश सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया ताकि बिना अतिरिक्त राशि के अधिक संख्या में नलकूपों को क्रियाशील किया जा सके।

बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना :–

- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अन्तर्गत 504 कृषकों का लम्बित भुगतान का निष्पादन 15 फरवरी' 2024 तक किया जाए।

➢ इसके अन्तर्गत सामान्य भुगतान के 38 कृषकों एवं आधार के कारण बैंक से रिटर्न 446 कृषकों का प्रमण्डल स्तर से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता के माध्यम से अग्रसारित ससमय किया जाए।

विभागीय न्यायिक वादों की समीक्षा–

विभागीय न्यायिक वादों के सन्दर्भ में सर्वप्रथम विभाग में लम्बित अपीलवाद/अवमाननावाद/समादेशवाद की जिलावार सभी वादों की समीक्षा करने के लिए संयुक्त सचिव को निदेश दिए गए।

➢ संयुक्त सचिव द्वारा प्रक्षेत्रावार अपीलवाद/अवमाननावाद/समादेशवाद से सम्बन्धित निम्नांकित लम्बित वादों की समीक्षा की गई :

क्र0 सं0	कार्यालय	CWJC	MJC	LPA
1	2	3	4	5
1.	अभियन्ता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना।	0	1	0
2.	मुख्य अभियन्ता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना।	2	1	0
3.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, आरा।	1	0	0
4.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा।	4	0	0
5.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गया।	1	0	0
6.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद।	1	0	0
7.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद।	0	0	1
8.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर।	2	0	0
9.	लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर।	2	0	0
10.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय।	1	0	0
11.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय	7	0	1
12.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, बाँका।	1	0	0
13.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, शेखपुरा।	1	0	0
14.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमुई।	1	0	0
15.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सहरसा।	1	0	0
	कुल–	**25**	**2**	**2**

अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा निम्न निदेश दिया गया–

➢ लम्बित वादों में ससमय माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ–पत्र/कारण पृच्छा दायर की जाए ताकि माननीय न्यायालय में विभाग को अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़े

➢ कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय से सम्बन्धित 07 समादेशवाद लम्बित है, जिसे अविलम्ब एक सप्ताह में प्रतिशपथ–पत्र दायर करने एवं सभी सम्बन्धितों को माननीय न्यायालय में एक सप्ताह में कारण पृच्छा/प्रतिशपथ–पत्र दायर करने

➢ माननीय न्यायालय में लम्बित समादेशवाद में तत्परता से न्यायादेश का अनुपालन किया जाए ताकि वादी द्वारा अवमाननावाद दायर नहीं किया जा सके

निगरानी विषयक लम्बित प्रतिवेदनों की समीक्षा–

निगरानी विषयक लम्बित प्रतिवेदनों के समीक्षा के क्रम में सम्बन्धित प्रक्षेत्र/अंचल/प्रमण्डलवार लम्बित प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी तथा समीक्षा के क्रम में निम्न मामलों को सम्बन्धित प्राधिकार के समक्ष प्रतिवेदन हेतु लम्बित पाया गया, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	लम्बित प्रतिवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	मुख्य अभियन्ता (योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)	12
2.	मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर	03
3.	मुख्य अभियन्ता, पटना	05
4.	मुख्य अभियन्ता, भागलपुर	01
5.	अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) उड़नदस्ता	01
6	अधीक्षण अभियन्ता, (रूपांकण)	01
7.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधुबनी	02
8.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना	01
9.	कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बाँका	02

उक्त लम्बित मामलों की सूची बैठक में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं/अधीक्षण अभियन्ताओं/कार्यपालक अभियन्ताओं को प्रक्षेत्रावार/अंचलवार/प्रमण्डलवार हस्तगत कराया गया। तत्पश्चात् अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त प्राधिकारों को 15 दिनों के अन्दर लम्बित प्रतिवेदनों को विभाग में समर्पित करने का निदेश दिया गया।

सतही सिंचाई योजना :–

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा एजेण्डावार एवं प्रमण्डलवार क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ सतही सिंचाई योजनाओं की समीक्षा की गयी–

- **वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत योजनाओं की निविदा की अद्यतन स्थिति :–**

क्र0 स0	प्रक्षेत्र	मद	प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की संख्या	निविदा प्रकाशित योजनाओं की संख्या	निविदा निष्पादित/ कार्यावंटन आदेश निर्गत योजनाओं की संख्या	लंबित योजनाओं की संख्या	एकरारित योजनाओं की संख्या	एकरारनामा हेतु लंबित योजनाओं की संख्या	कार्य प्रारम्भ योजनाओं की संख्या	50 प्रतिशत आवंटन हेतु प्राप्त अधियाचना
1	मुख्य अभियंता, पटना	JJHA	146	146	130	16	125	5	80	50
		HKKP	212	211	157	54	150	7	105	64
		कुल	**358**	**357**	**287**	**70**	**275**	**12**	**185**	**114**
2	मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर	JJHA	36	36	32	4	31	1	10	1
		HKKP	78	76	70	6	54	16	46	30
		कुल	**114**	**112**	**102**	**10**	**85**	**17**	**56**	**31**
3	मुख्य अभियंता, भागलपुर	JJHA	132	132	115	17	105	10	43	10
		HKKP	200	200	155	45	147	8	90	24
		कुल	**332**	**332**	**270**	**62**	**252**	**18**	**133**	**34**

मुख्य अभियन्ता, पटना परिक्षेत्र अन्तर्गत ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' एवं ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृत प्रदत्त कुल 358 योजनाओं के विरूद्ध 70 योजनाओं का निविदा निष्पादन लम्बित है। जबकि मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर एवं मुख्य अभियन्ता, भागलपुर क्षेत्र अन्तर्गत क्रमशः 10 एवं 62 योजनाओं का निविदा निष्पादन लम्बित है। निविदा निष्पादन के पश्चात् एकरारित कुल 612 योजनाओं के विरूद्ध मात्र 374 योजनाओं में कार्य प्रारम्भ हुआ है एवं मात्र 179 योजनाओं पर 50 प्रतिशत राशि आवंटन हेतु अधियाचना प्राप्त हुआ है।

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा लम्बित योजनाओं को निविदा निष्पादन शीघ्र किये जाने का निदेश सभी मुख्य अभियन्ताओं एवं अधीक्षण अभियन्ताओं को दिया गया। साथ ही जिन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है वहाँ स्थल निरीक्षण कर कार्य प्रारम्भ कराने एवं 50 प्रतिशत तक राशि का अधियाचना करने का निदेश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की अपूर्ण योजनाएँ :–

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता	वित्तीय वर्ष	जल-जीवन-हरियाली			हर खेत तक सिंचाई का पानी			अभ्युक्ति
			योजनाओ की कुल संख्या	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	योजनाओ की कुल संख्या	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	
1	*मुख्य अभियन्ता, पटना*	2021-22	76	73	3	115	100	15	
		2022-23	209	167	42	111	71	40	
	कुल		**285**	**240**	**45**	**226**	**171**	**55**	
2	*मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर*	2021-22	7	6	1	43	42	1	
		2022-23	18	7	11	26	12	14	
	कुल		**25**	**13**	**12**	**69**	**54**	**15**	
3	*मुख्य अभियन्ता, भागलपुर*	2021-22	45	36	9	59	42	17	
		2022-23	39	15	24	117	57	60	
	कुल		**84**	**51**	33	**176**	**99**	**77**	

वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' एवं ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमशः 394 एवं 471 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया। ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' के तहत् अबतक कुल 90 योजनाओं का कार्य अपूर्ण है, जबकि ''हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत् 147 योजनाओं का कार्य पूरा नहीं किया गया है। कुल 237 योजनाओं में 45 योजनायें विभिन्न कारणों, यथा स्थल विवाद/अतिक्रमण, कार्यान्वयन योग्य नहीं, वन क्षेत्र में अवस्थित रहने के कारण एवं कोर्ट केश इत्यादि से कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है या अवरूद्ध है।

मुख्य अभियन्ता, पटना परिक्षेत्र अन्तर्गत इस तरह की सबसे ज्यादा 25 मामले है, जबकि मुख्य अभियन्ता, भागलपुर के अन्तर्गत 15 एवं मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत 05 मामले लम्बित है।

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपूर्ण योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से पूरा करने का निदेश दिया गया। अतिक्रमित योजनाओं को जिला प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त करा कर कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया। कार्यान्वयन नहीं कराये जाने योग्य योजनाओं का स्थगन से सम्बन्धित प्रस्ताव विस्तृत तकनीकी कारणों का उल्लेख करते हुए विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश सभी मुख्य अभियन्ताओं को दिया गया।

➢ **आवंटन एवं व्यय की अद्यतन स्थिति :–**

वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' एवं ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम अन्तर्गत क्रमशः 304 एवं 324 योजनाओं का कार्य पूरा किया गया है।

''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' अन्तर्गत पूर्ण 304 योजनाओं में मात्र 170 योजनाओं पर 80% और 41 योजनाओं पर 100% राशि की अधियाचना की गयी है, जबकि ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम अन्तर्गत 324 पूर्ण योजनाओं के विरूद्ध मात्र 193 योजनाओ पर 80% और 65 योजनाओं पर शत–प्रतिशत राशि की अधियाचना की गयी है।

मुख्य अभियन्ता, पटना प्रक्षेत्र अन्तर्गत ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' में 240 पूर्ण योजनाओं के विरूद्ध मात्र 136 योजनाओं पर 80% प्रतिशत एवं 33 योजनाओं पर शत–प्रतिशत अधियाचना की गयी है। जबकि ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम के तहत् 171 पूर्ण योजनाओं के विरूद्ध मात्र 124 योजनाओं पर 80% एवं 45 योजनाओं पर शत–प्रतिशत राशि की अधियाचना की गयी है।

मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र अन्तर्गत ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' में 13 पूर्ण योजनाओं के विरूद्ध मात्र 06 योजनाओं पर 80% एवं 03 योजनाओं पर शत–प्रतिशत राशि की अधियाचाना की गयी है। जबकि ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम के तहत् 54 पूर्ण योजनाओं के विरूद्ध मात्र 34 योजनाओं पर 80% एवं 12 योजनाओं पर शत–प्रतिशत राशि की अधियाचना की गयी है।

मुख्य अभियन्ता, भागलपुर प्रक्षेत्र अन्तर्गत ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' में 51 पूर्ण योजनाओं में से मात्र 28 योजनाओं पर 80% एवं 05 योजनाओं पर शत–प्रतिशत राशि की अधियाचना की गयी है। जबकि ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम तहत् 99 पूर्ण योजनाओं में से मात्र 35 योजनाओं पर 80% एवं 08 योजनाओं पर शत–प्रतिशत राशि की अधियाचना की गयी है।

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा पूर्ण की गयी योजनाओं के विरूद्ध सर्वप्रथम 80% राशि की अधियाचना प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही कार्यस्थल पर सभी कटाव एवं Rain Cut की मरम्मति इत्यादि से सम्बन्धित कार्यों में संतुष्ट होने के पश्चात् ही शत–प्रतिशत राशि का अधियाचना प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश सभी मुख्य अभियन्ताओं को दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में "हर खेत को सिंचाई का पानी" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल राशि 11550.415 लाख रूपये आवंटन के विरूद्ध राशि 9287.452 लाख रूपये प्रमण्डलों द्वारा CFMS के माध्यम से व्यय किया गया है। इसी प्रकार "जल–जीवन–हरियाली अभियान" के अन्तर्गत राशि 13409.552 लाख रूपये के विरूद्ध राशि 10807.900 लाख रूपये प्रमण्डलों द्वारा CFMS के माध्यम से व्यय किया गया है।

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना, नालन्दा, अरवल, जहानाबाद एवं गया के द्वारा आवंटन एवं व्यय की गयी राशि पर असंतोष प्रकट करते हुए शेष राशि को शीघ्र व्यय करने का निदेश दिया गया।

- **स्थापना** :–

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना ने बताया कि श्री गुरू चरण साह, कनीय अभियन्ता के द्वारा कार्य में अभिरूचि नहीं ली जा रही है। फलतः मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के सर्वेक्षण से सम्बन्धित कार्य प्रभावित हो रहा है। कार्य नहीं किए जाने के कारण इनकी सेवा पैतृक विभाग को लौटाई जा सकती है।

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नवादा ने बताया कि श्री उपेन्द्र सिंह, कनीय अभियन्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। फलतः इनकी सेवा पैतृक विभाग ग्रामीण कार्य विभाग को लौटाया जा सकता है।

अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा दोनों कनीय अभियन्ताओं के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करने का निदेश अभियन्ता प्रमुख को दिया गया। साथ ही आरोप पत्र गठन के पश्चात् इनकी सेवा पैतृक विभाग को वापस करने का निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

21/2/2024

(चैतन्य प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 247(अ०) /पटना, दिनांक:– 22.2.2024

प्रतिलिपि:–सभी कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल/सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल/सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/24

(राजेश कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 247(अ०) /पटना, दिनांक:– 22.2.2024

प्रतिलिपि:–मुख्य अभियन्ता, (योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ)/अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) योजना एवं स्थापना/अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) रूपांकण, अन्वेषण, गुण नियंत्रण/ अधीक्षण अभियन्ता, (मुख्यालय) उडनदस्ता/अधीक्षण अभियन्ता, (प्रभारी) नलकूप कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/02/24

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 247(अ०) /पटना, दिनांक:– 22.2.2024

प्रतिलिपि:–संयुक्त सचिव/अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/02/24

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 247(अ०) /पटना, दिनांक:– 22.2.2024

प्रतिलिपि:–अभियन्ता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

22/02/24

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 247(अ०) /पटना, दिनांक:– 22.2.2024

प्रतिलिपि:–सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/02/24

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 247(अ०) /पटना, दिनांक:– 22.2.2024

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

22/02/24

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।